ORDER SHEET (CONTD)

विशेष प्र०क्र० – 726/12-10-22

अपराध क्रमांक – 531/-3-10-22

म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० सतना/नागौद, उचेहरा

विरूद्ध

सुनील मिश्रा

धारा ~~135~~/138 वि०अधि० 2003

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	signature of parties or pleaders where necessary
12/11/22	आज दिनांक को विशेष विद्युत प्रकरण क्रमांक 726/22 नेशनल/~~स्थायी~~ निरंतर लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री – अरविन्द कुमार मिश्रा उपस्थित। आरोपी सहित/आरोपी द्वारा 313 उपस्थित। आरोपी के विरूद्ध परिवादी के द्वारा धारा ~~135~~/138 विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत है। परिवादी की ओर से आज दिनांक को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नेशनल/~~स्थायी~~ निरंतर लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/56 के आधार पर परिवादी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार निर्धारण की अवशेष एवं बकाया बिल की राशि जमा करा दी गयी है जिसका परिवादी के कार्यालयीन दस्तावेजो में समायोजन हो चुका है, जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इस कारण परिवादी उक्त प्रकरण की कार्यवाही को अब न्यायालय में आगे जारी नही रखते हुए वापस लेना चाहता है। यह आवेदन सद्भाविक एवं वैधानिक है तथा दुरभिसंधिपूर्ण नही है। उक्त आधार पर आरोपी/आरोपीगण को डिस्चार्ज करने का निवेदन किया गया है। आवेदन पर सुना गया, प्रकरण का अवलोकन किया, विचारोपरांत आरोपी के विरूद्ध परिवादी के द्वारा यह परिवाद धारा 135/138 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। परिवादी का आवेदन पत्र सद्भावना पर आधारित होना प्रतीत होता है तथा निर्धारण की अवशेष एवं बकाया बिल की राशि जमा करायी जा चुकी है, जिसका परिवादी के कार्यालयीन दस्तावेजों में समायोजन हो जाना भी बताया गया है। परिवादी के अधिवक्ता को विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 155 के अन्तर्गत लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी तथा प्रकरण के लोक अभियोजक द्वारा विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है, इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि अनुसार होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रकरण में आरोपी को उक्त अपराध से दोषमुक्त/उन्मोचित किया जाता है। आरोपी द्वारा निष्पादित जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते है। आरोपी का यदि गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो अदम तामील तत्काल वापस बुलाया जाये। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर संचित अभिलेखागार हो। (सामाजिक सदस्य) (अधिवक्ता सदस्य) (न्यायिक सदस्य)	विवाद 1920 – 1333/040 12/11/22 31650 – 17133101 12/11/22 12/11/22 अभियन्ता म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० नागौद ग्रामीण